R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

खण्ड III ◆ अंक 7
जनवरी 2007

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

बैंकों का पूंजी बाज़ारों में ऋण आदि जोखिम

रिज़र्व बैंक ने पूंजी बाज़ारों में बैंकों के ऋण आदि जोखिम पर दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। आशोधित दिशानिर्देश जो 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी होंगे, निम्नानुसार हैं -

घटक

बैंकों के पूंजी बाज़ारों में ऋण आदि जोखिमों में उनके प्रत्यक्ष एक्सपोज़र और अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र दोनों शामिल होंगे। पूंजी बाज़ारों में सभी स्वरूपों में बैंकों के कुल ऋण आदि जोखिम (निधि तथा निधीतर आधारित दोनों) में निम्नलिखित शामिल होंगे :

i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा जिनकी मूल निधि अनन्यतः कंपनी ऋण में निवेशित नहीं की गयी है ऐसे इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश;

ii) व्यक्तियों को शेयरों (आइपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों आदि में निवेश के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बेजमानती आधार पर अग्रिम;

iii) किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक जमानत के रूप में लिया गया है;

iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए दिए गए अग्रिम, जिसमें शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति से अग्रिम पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो, वहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों की सम्पार्श्विक प्रतिभूतियों की सीमा तक दिए गए ऋण;

v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती तथा गैर-जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां;

vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या बेजमानती आधार पर कंपनियों को स्वीकृत ऋण;

vii) अपेक्षित इक्विटी प्रवाहों/निर्गमों की जमानत पर कंपनियों को पूरक ऋण;

viii) शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गयी हामीदारी वचनबद्धताएं;

ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण; और

x) उद्यम पूंजी निधियों (वीसीएफ) (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) में सभी ऋण आदि जोखिम।

जोखिम पर सीमाएं

एकल आधार

पूंजी बाज़ारों में किसी बैंक का सभी रूपों (निधि आधारित तथा निधीतर आधारित दोनों) में कुल ऋण आदि जोखिम, पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में उसकी निवल मालियत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समग्र उच्चतम सीमा के भीतर शेयरों, परिवर्तनीय बांडों /डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों में बैंकों के प्रत्यक्ष निवेश तथा उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) में उनके सभी ऋण आदि जोखिम उसकी निवल मालियत (नेटवर्थ) के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए ।

समेकित आधार

पूंजी बाज़ारों में (निधि आधारित तथा निधीतर आधारित दोनों) में किसी समेकित बैंक का कुल ऋण आदि जोखिम, पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में उसकी समेकित निवल मालियत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समग्र उच्चतम सीमा के भीतर शेयरों, परिवर्तनीय बांडों / डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों में समेकित बैंक के निवेश के रूप में कुल प्रत्यक्ष ऋण आदि जोखिम तथा उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) में सभी ऋण आदि जोखिम उसकी समेकित निवल मालियत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
बैंकों का पूंजी बाज़ारों में ऋण आदि जोखिम	1
मूल्यांककों का पैनल तैयार करने के लिए संपत्ति का मूल्यांकन	3
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करना/ म्युच्युअल फंड उत्पादों का वितरण	3
विदेशी मुद्रा	
परियोजना और सेवा निर्यातों में उदारीकरण	4
प्रतिभूति बाज़ारों में मूलभूत सेवा प्रदान करनेवाली कंपनियों में विदेशी निवेश	4

शामिल न की गयी मदें

निवल मालियत की 40 प्रतिशत की कुल एक्सपोज़र सीमा तथा निवल मालियत की 20 प्रतिशत की प्रत्यक्ष निवेश एक्सपोज़र सीमा (जहां लागू हो) में निम्नलिखित मदों को शामिल नहीं किया जाएगा :

i) बैंक के अपनी खुद की अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों, प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में निवेश तथा महत्वपूर्ण वित्तीय मूलभूत ढाँचे का निर्माण करने वाली संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल), केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लिमिटेड (सीडीएसएल), राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड (एनएससीसीएल), राष्ट्रीय शेयर बाज़ार (एनएसइ), भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल), भारतीय ऋण आसूचना ब्यूरो लिमिटेड (सीआइबीआइएल), मल्टी कमॉडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (एमसीएक्स), नेशनल कमॉडिटी एंड डेरिवेटिव्ज़ एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीइएक्स) तथा नेशनल मल्टी-कमॉडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएमसीइआइएल), नेशनल कोलेटरल मेनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (एनसीएमएसएल) तथा अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी शेयरों तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों, परिवर्तनीय बांडों में निवेश। इन्हें सूचीबद्ध किए जाने पर, मूल निवेश (अर्थात् सूचीबद्ध किए जाने के पहले) से अधिक एक्सपोज़र पूंजी बाज़ार ऋण आदि जोखिम का एक भाग होंगे;

ii) अन्य बैंकों द्वारा जारी टियर I और टियर II ऋण लिखत;

iii) अन्य बैंकों के जमा प्रमाण पत्रों (सीडी) में निवेश;

iv) अधिमान शेयर;

v) अपरिवर्तनीय डिबेंचर और अपरिवर्तनीय बांड;

vi) ऐसी योजनाओं के अंतर्गत म्युच्युअल फंडों के यूनिट, जहां मूल निधि का अनन्य रूप से ऋण लिखतों में निवेश किया गया है;

vii) कंपनी ऋण पुनर्गठन व्यवस्था के अंतर्गत ऋण/अतिदेय ब्याज के इक्विटी में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा अर्जित शेयर; और

viii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक की पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत विदेशी संयुक्त उद्यमों/संपूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी अर्जित करने के लिए भारतीय प्रवर्तकों को स्वीकृत मीयादी ऋण।

गणना

पूंजी बाज़ारों में ऋण आदि जोखिम की गणना के लिए मंजूर किए गए ऋण/अग्रिम तथा पूंजी बाज़ार परिचालनों के लिए जारी गारंटियों की स्वीकृत सीमाओं अथवा बकाया, इनमें से जो भी अधिक हो, के संदर्भ में गणना की जाएगी। तथापि, पूर्ण आहरित मीयादी ऋणों के मामले में, जहां मंजूर सीमा के किसी भाग के पुनः आहरण की गुंजाइश नहीं है वहां बैंक बकाया को एक्सपोज़र के रूप में गणना कर सकते हैं। साथ ही, शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों में बैंकों के प्रत्यक्ष निवेश की गणना लागत मूल्य पर की जाएगी।

ऋण/अग्रिम की जमानत पर शेयर

व्यक्तियों को

शेयर, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों की प्रतिभूति पर बैंकिंग प्रणाली से व्यक्तियों को दिया जाने वाला ऋण, यदि प्रतिभूति मूर्त रूप में हो तो 10 लाख रुपये तथा यदि डिमैट रूप में हो तो 20 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। शेयर, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों और सार्वजनिक क्षेत्र निकायों (पीएसयू) की प्रतिभूति पर बैंकिंग प्रणाली से व्यक्ति को प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आइपीओ) में अभिदान के लिए दिया जाने वाला ऋण/अग्रिम 10 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। बैंक, ईएसओपी के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा अपनी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए शेयरों के क्रय मूल्य के 90 प्रतिशत तक या 20 लाख रुपये की सीमा तक, इनमें से जो भी कम हो का वित्तपोषण कर सकते हैं। बैंकों द्वारा ईइसओपी/ आइपीओ के अंतर्गत शेयर अभिग्रहण के लिए अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में ये निर्देश लागू नहीं होंगे। अतः बैंकों को इएसओपी/आइपीओ के अंतर्गत या द्वितीयक बाजार से स्वयं अपने (बैंक) के शेयर खरीदने के प्रयोजन से अपने कर्मचारियों /उनके द्वारा स्थापित कर्मचारी ट्रस्ट को अग्रिम प्रदान नहीं करना चाहिए। यह निषेध समान रूप से लागू होगा चाहे अग्रिम जमानती हो अथवा बेजमानती हो।

बैंकों को उधारकर्ता से एक घोषणा पत्र प्राप्त करना चाहिए जिसमें शेयरों तथा उपर्युक्त अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर किसी अन्य बैंक/बैंकों से लिये गये ऋण/अग्रिम के ब्योरे हों, ताकि इस प्रयोजन के लिए निर्धारित उच्चतम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

स्टाक ब्रोकरों और मार्केट मेकर्स को

बैंक, अपने निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदित नीतिगत ढाँचे के भीतर स्टाक ब्रोकरों और मार्केट मेकर्स को वाणिज्यिक विवेक के आधर पर ऋण सुविधाएं देने के लिए स्वतंत्र हैं। अंतर-संबद्ध स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियों और बैंकों के बीच सांठगाँठ की संभावना से बचने के लिए प्रत्येक बैंक के निदेशक मंडल को, पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बैंक की निवल मालियत की 40 प्रतिशत समग्र उच्चतम सीमा के भीतर, निम्नलिखित को दिए जाने वाले अग्रिमों के लिए उच्चतम उप सीमा निर्धारित करनी चाहिए :-

(क) सभी स्टॉक ब्रोकरों और मार्केट मेकर्स (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों, अर्थात् गारंटीयाँ) और

(ख) अपनी सहायक/अंतर संबद्ध कंपनियों सहित किसी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी।

इसके अलावा, बैंकों को स्टॉक ब्रोकरों द्वारा स्टाक एक्सचेंजों में किये जाने वाले अंतरपणन परिचालनों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण सुविधाएँ नहीं देनी चाहिए।

संयुक्त धारकों पर अग्रिम

संयुक्त धारकों अथवा अन्य पक्ष हिताधिकारियों को संयुक्त नामों में धारित शेयरों की जमानत पर अग्रिम प्रदान करते समय बैंकों को सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्तियों के लिए शेयरों तथा डिबेंचरों की जमानत पर दिए जानेवाले ऋणों/अग्रिमों के संबंध में रखी गयी सीमाओं से बचने के लिए अन्य संयुक्त धारकों अथवा अन्य पक्ष हिताधिकारियों को अग्रिम प्रदान करके, विनियम के उद्देश्य को निष्फल नहीं किया जाता है ।

अग्रिम पर मार्जिन

सभी अग्रिमों/प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आइपीओ) के वित्तपोषण/ पूंजी बाजार परिचालनों की ओर से जारी गारंटियों पर 50 प्रतिशत का एकसमान मार्जिन लागू किया जाना चाहिए। पूंजी बाज़ार परिचालनों के लिए बैंकों द्वारा जारी गारंटियों के लिए 25 प्रतिशत (50 प्रतिशत के मार्जिन के भीतर) का न्यूनतम नकद मार्जिन रखना होगा।

उद्यम पूंजी निधियों में निवेश

उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) में बैंकों के ऋण आदि जोखिम इक्विटी के समान समझे जाएंगे तथा इसलिए पूंजी बाज़ार ऋण आदि जोखिम संबंधी उच्चतम सीमाओं (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) को अनुपालन के लिए गिना जाएगा ।

मूल्यांककों का पैनल तैयार करने के लिए संपत्ति का मूल्यांकन

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि संपत्ति के मूल्यांकन तथा मूल्यांककों की नियुक्ति के संबंध में नीति तैयार करते समय बैंक निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखें :

संपत्ति का मूल्यांकन

(i) अपने एक्सपोज़र के लिए स्वीकृत संपार्श्विकों सहित संपत्ति के मूल्यांकन के लिए बैंकों के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

(ii) व्यावसायिक अर्हता प्राप्त स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा ही मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकक का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हित नहीं होना चाहिए।

(iii) 50 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक राशि पर मूल्यांकित संपत्ति के लिए बैंकों को कम-से-कम दो स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करना चाहिए।

बैंक की अपनी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन

उपर्युक्त के साथ-साथ, बैंक अपनी खुद की संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के लिए नीति तैयार करते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखें :

(i) चूंकि पूंजी पर्याप्तता पर विद्यमान दिशानिर्देश बैंकों को उनकी टियर II पूंजी के भाग के रूप में 55 प्रतिशत के बट्टे पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को शामिल करने की अनुमति देते है, यह आवश्यक है कि पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियां संपत्ति के बाज़ार मूल्य में सही मूल्य वृद्धि दर्शाती हैं तथा बैंकों के पास उनके स्वयं की अचल परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए व्यापक नीति है। ऐसी नीति में अन्य बातों के साथ-साथ, पुनर्मूल्यांकन के लिए परिसंपत्तियों की पहचान की क्रियाविधि, ऐसी परिसंपत्तियों के लिए अलग से रिकार्ड रखना, पुनर्मूल्यांकन की बारंबारता, मूल्यह्रास नीति, ऐसी पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए नीति आदि शामिल होनी चाहिए। इस नीति में पुनर्मूल्यांकन के ब्यौरों के संबंध में *लेखा पर टिप्पणियों* में किये जानेवाले प्रकटीकरण जैसे, पुनर्मूल्यांकित अचल परिसंपत्तियों की मूल लागत तथा मूल्यवृद्धि/ मूल्यह्रास के लिए लेखांकन पद्धति आदि भी शामिल की जाए।

(ii) चूंकि पुनर्मूल्यांकन में अचल परिसंपत्ति के उचित मूल्य में हुआ परिवर्तन प्रतिबिंबित होना चाहिए, इसलिए पुनर्मूल्यांकन की बारंबारता परिसंपत्तियों के मूल्यों में अतीत में पायी गयी अस्थिरता के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। साथ ही, मूल्यह्रास की पद्धति में परिवर्तन परिसंपत्तियों के भविष्यकालीन आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित स्वरूप में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप होना चाहिए। बैंकों को चाहिए कि परिसंपत्ति की किसी खास श्रेणी के लिए पुनर्मूल्यांकन की बारंबारता /मूल्यह्रास की पद्धति में परिवर्तन करते समय वे इन सिद्धांतों का कड़ाई से अनुपालन करें तथा इस संबंध में सही प्रकटीकरण करें।

स्वतंत्र मूल्यांककों का पैनल तैयार करना

i) बैंकों के पास व्यावसायिक मूल्यांककों का पैनल तैयार करने के लिए एक क्रियाविधि होनी चाहिए तथा उन्हें *मूल्यांककों की अनुमोदित सूची* का एक रजिस्टर रखना चाहिए।

ii) बैंकों को मूल्यांककों के पैनल में शामिल किए जाने के लिए न्यूनतम अर्हता निर्धारित करनी चाहिए। अर्हता निर्धारित करते समय बैंक को धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 34 एबी (नियम 8ए) के अंतर्गत निर्धारित अर्हताओं को ध्यान में रखना चाहिए। परिसंपत्तियों की विभिन्न श्रेणियों (उदा. भूमि तथा भवन, संयंत्र तथा मशीन, कृषि भूमि, आदि) के लिए भिन्न-भिन्न अर्हताएं निर्धारित की जानी चाहिए।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी संबंधित लेखांकन मानक से भी मार्गदर्शन प्राप्त करें।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करना/ म्युच्युअल फंड उत्पादों का वितरण

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को उनके कारोबार के क्षेत्र में और अधिक विविधता की अनुमति दे कर इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, चयनित आधार पर, जोखिम की हिस्सेदारी के बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के साथ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने तथा म्युच्युअल फंडों के एजेंट के रूप में म्युच्युअल फंड उत्पादों को बेचने और उन्हें वितरित करने की अनुमति प्रारंभ में दो वर्षों की अवधि के लिए दी जाए और तदुपरांत उसकी समीक्षा की जाए। निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षाएं पूरी करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ एतदर्थ आवदेन कर सकती हैं -

- न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की निवल स्वाधिकृत निधि हो।
- पिछले दो वर्षों के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार कंपनी ने निवल लाभ अर्जित किया हो।
- पिछले लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार निवल अनर्जक परिसंपत्तियाँ (एनपीए) उसके निवल अग्रिमों के 3 प्रतिशत से अधिक न हों।
- जमा न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी) का जोखिम भारित परिसंपत्ति में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 10 प्रतिशत होना चाहिए और जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) का 12 प्रतिशत या 15 प्रतिशत, जैसाकि संबंधित कंपनी पर लागू हो , होना चाहिए।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निम्नलिखित निर्धारणों का भी पालन करना होगा;

परिचालनात्मक पहलू

को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करना

(क) इस गठजोड़ प्रबंध के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की भूमिका को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्डों की बिक्री तथा वितरण तक ही सीमित होगी। को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बैंक संबंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अनुदशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन होंगे।

(ख) को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बैंक गठजोड़ प्रबंध के अंतर्गत जारी सभी को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्डों के संबंध में *अपने ग्राहक को जानें* (केवाइसी) अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अकेले ही जिम्मेदार होगा।

(ग) को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के कारोबार से संबंधित यदि कोई जोखिम होंगे तो वे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अपने कारोबार में अंतरित नहीं होने चाहिए।

(घ) ग्राहकों को को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के खाते संबंधित बैंक में रखने होंगे और को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड धारकों द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान संदर्भित बैंक के नाम में होंगे; यदि ग्राहक का कोई खाता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास होगा तो उसे को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के संबंध में किए जाने वाले भुगतान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

(ङ) गठजोड़ प्रबंध में शामिल होने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने ग्राहक के खाते के संबंध में गोपनीयता सुनिश्चित करेगी। को-ब्रांडिंग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने ग्राहक के खाते के खोलने के समय प्राप्त जानकारी का खुलासा नहीं करेगी तथा को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बैंक को ग्राहक के खाते के किसी भी ब्योरे तक पहुंचने की अनुमति कंपनी द्वारा नहीं दी जाएगी जिससे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व भंग होता हो।

(च) क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बैंक को ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए उचित मशीनरी स्थापित करनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड सेवा में पायी

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2006-08** **Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

गई किसी कमी के संबंध में ग्राहक को होनेवाली शिकायत के लिए बैंक उत्तदायी होगा।

(छ) यदि मुकदमों, क्षति, आदि से कोई विधिक /कानूनी जोखिम उत्पन्न होगा तो उसे बैंक को वहन करना होगा।

म्युच्युअल फंड उत्पादों का विवरण

(क) म्युच्युअल फंड उत्पादों को वितरित करने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सेबी के मार्गदर्शी सिद्धांतों/ विनियमावली, जिसमें आचरण संहिता शामिल है, का पालन करती हो।

(ख) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऐसा कोई प्रतिबंधात्मक व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए जिसके अंतर्गत वह अपने ग्राहकों को अपने द्वारा प्रवर्तित उत्पाद के लिए बाध्य करती हो। ग्राहकों को उनकी अपनी रुचि के अनुसार चयन की स्वतंत्रता रहनी चाहिए।

(ग) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ग्राहकों की म्युच्युअल फंड उत्पादों में भागीदारी पूरी तरह स्वैच्छिक है और कंपनी द्वारा उसकी समस्त प्रचार सामग्री में इस सूचना को प्रमुख रूप से दर्शाया जाना चाहिए। कंपनी द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं और म्युच्युअल फंड उत्पादों के वितरण के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं होना चाहिए।

(घ) कंपनी को ग्राहकों के केवल एजेंट के रूप में काम करना चाहिए। उसे म्युच्युअल फंड की यूनिटों की खरीद/बिक्री के लिए निवेशकों के आवदेन पत्र भुगतान लिखतों सहित म्युच्युअल फंड/रजिस्ट्रार/अंतरण एजेंट को अग्रसारित करने तक सीमित रहना चाहिए। यूनिटों की खरीद ग्राहकों के जोखिम पर होनी चाहिए और तत्संबंध में कंपनी की ओर से निश्चित आय की गारंटी नहीं होनी चाहिए।

(ङ) ग्राहकों को बेचने के लिए कंपनी को द्वितीय बाजार से म्युच्युअल फंड की यूनिटें न तो अर्जित करनी चाहिए और न ही उसे अपने ग्राहकों से उन्हें खरीदना चाहिए।

(च) यदि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ग्राहकों की ओर से म्युच्युअल फंड की यूनिटों को अपनी अभिरक्षा में रखे तो वह यह सुनिश्चित करे कि उसके अपने निवेश और ग्राहकों से संबंधित निवेशों को एक दूसरे से बिलकुल अलग रखा जाए।

(छ) यदि म्युच्युअल फंड-एजेंसी कारोबार में कोई जोखिम हो तो वह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अपने कारोबार में अंतरित न हो;

अन्य पहलू

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने -

- उचित व्यवहार संहिता के मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू किया हो।
- *अपने ग्राहक को जानें* विषय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों और धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों का पालन करती हो।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ सार्वजनिक जमा स्वीकरण(रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 और/या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदण्ड(रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अन्य अनुदेशों /प्रावधानों, जहाँ तक संबंधित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू हों, का अवश्य पालन करती हो।
- इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य शर्तो का पालन करे।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को और आगे सूचित किया गया कि किसी अवांछित/दूषित परिचालन की जानकारी रिज़र्व बैंक को मिलने पर, 3 माह की नोटिस देकर अनुमति वापस ली जा सकेगी।

विदेशी मुद्रा

परियोजना और सेवा निर्यातों में उदारीकरण

प्रक्रिया को और सरल बनाने तथा परियोजना निर्यातकों और सेवा निर्यातकों को उनके समुद्रपारीय लेनदेनों में और अधिक लोचकता प्रदान करने की दृष्टि से परियोजना और सेवा निर्यातों के संबंध मार्गदर्शी सिद्धांतों को आशोधित किया गया है। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार हैं -

मशीनरी की अंतर-परियोजना स्थानांतरण

विदेश में टर्नकी/ विनिर्माण ठेकों का कार्य की समाप्ति पर यदि उपकरण, मशीनरी आदि अन्य समुद्रपारीय परियोजना में उपयोग की जाती है, तो उस स्थानांतरित परियोजना से बाज़ार मूल्य (बही मूल्य से कम नहीं) की वसूली आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, निर्यातक किसी देश में उनेक द्वारा प्राप्त किसी अन्य ठेके को करने के लिए मशीनरी/ उपकरण का उपयोग कर सकते हैं बशर्ते प्रायोजक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक/ एक्ज़िम बैंक/ कार्यकारी दल आश्वस्त हो।

निधियों का अंतर-परियोजना स्थानांतरण

अबसे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक/ एक्ज़िम बैंक/ कार्यकारी दल निर्यातकों को किसी एक मुद्रा अथवा देश में निधियों के अंतर-परियोजना अंतरण के उनके विकल्प की मुद्रा/मुद्राओं में एक अथवा एक से अधिक विदेशी मुद्रा खाता खोलने, रखने और परिचालन करने की अनुमति दे सकते हैं।

अस्थायी नकदी अधिशेष का विनियोजन

अब से परियोजना/सेवा निर्यातकों को अस्थायी नकदी अधिशेष के विदेशों में विनियोजन के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अब से वे भारत से बाहर अर्जित अपने अस्थायी नकदी अधिशेष निम्नलिखित लिखतों/ प्रॉडक्ट्स में विनियोजित कर सकते हैं।

(क) विदेश में अल्पावधि पेपरों में निवेश जिसमें वे खजाना बिल और अन्य मौद्रिक लिखतें शामिल हैं जिनकी परिपक्वता अथवा शेष परिपक्वता अवधि एक वर्ष अथवा उससे कम की है और जिनकी रेटिंग स्टैंडर्ड एण्ड पुअर द्वारा ए-1/एएए अथवा मूडीज़ द्वारा पी-1/एएए अथवा फिट्च आइबीसीए द्वारा एफ1/एएए इत्यादि हो।

(ख) भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों की भारत से बाहर शाखाओं/ सहयोगी संस्थाओं के पास जमा राशि।

प्रतिभूति बाज़ारों में मूलभूत सेवा प्रदान करनेवाली कंपनियों में विदेशी निवेश

भारत सरकार से परामर्श करके यह निर्णय लिया गया है कि सेबी विनियमावली के अनुपालन तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन, प्रतिभूति बाज़ारों में मूलभूत सेवा प्रदान करनेवाली कंपनियों अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज़ और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन्स में विदेशी निवेश की अनुमति दी जाए :

i) इन कंपनियों में अलग से 26 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा और 23 प्रतिशत विदेशी संस्थागत निवेश सीमा के साथ 49 प्रतिशत तक की विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी;

ii) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की विशिष्ट पूर्वानुमति से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जाएगी; तथा

iii) विदेशी संस्थागत निवेश केवल गौण बाज़ार में खरीद के माध्यम से अनुमत होंगे।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस लि.,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**